भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *264

उत्तर देने की तारीख- 07.08.2025

ओडिशा के कंधमाल जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

***264. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के कंधमाल जिले सहित सभी जनजातीय जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कंधमाल जिले में उक्त विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा ऐसे कितने विद्यालय कार्यशील हैं और कितने विद्यालय विकास के विभिन्न चरणों में हैं;

(ग) क्या सरकार कंधमाल के खजुरीपाड़ा और चाकापाड़ जैसे जनजातीय-बहुल ब्लॉकों में नए विद्यालयों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है जो वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अगले चरण में उन्हें शामिल करने पर विचार करेगी?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओरम)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के संबंध में दिनांक 07/08/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : जी हाँ, 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की घोषणा की थी। मूलरूप से 1997-98 में शुरू की गई ईएमआरएस योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षिक अवसरों तक पहुँच मिल सके और सामान्य आबादी के साथ अंतर को पाटा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत 288 ईएमआरएस के अतिरिक्त, देश भर में 440 और स्कूल प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे अनुमोदित ईएमआरएस की कुल संख्या 728 हो गई है।

(ख) : कंधमाल जिले के 12 ब्लॉकों में से कुल 10 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं। 2 ईएमआरएस कार्यशील हैं। 2 ईएमआरएस के लिए भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, 5 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, और वर्तमान में 3 स्थान निर्माण-पूर्व चरण में हैं।

(ग) और (घ) : यद्यपि किसी ब्लॉक में ईएमआरएस के अनुमोदन के लिए दोहरे मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, फिर भी 2018-19 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पहले से अनुमोदित और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत पहले से स्वीकृत ईएमआरएस के अलावा कोई नया ईएमआरएस विचाराधीन नहीं है, क्योंकि मंत्रालय वर्तमान में केवल पहले से अनुमोदित 728 ईएमआरएस पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है।

*****